विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2023 / 1129

दिनांक :17/01/2023

-::अधिसूचना::-

अधिसूचित किया जाता है कि,राज्यपाल के उपसचिव,म.प्र.राजभवन भोपाल से प्राप्त पत्र क्र. एफ–26–3/10/रा.स./यू.ए.1/571,दिनांक 06 मई 2022 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 95/सीसी/12/अडतीस,दिनांक 16.01.2012 में प्रदत्त निर्देश अनुसार "विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 85 वीं बैठक दिनांक 18.04.2011 के विषय क्रमांक 16 पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् में नियुक्त समिति सदस्य केवल कार्य परिषद् के सदस्य ही रहेंगे, अन्य किसी समिति में भाग नहीं लेंगे। विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद् प्रबंध बोर्ड एवं अन्य समितियों के सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय के नाम एवं मोनो लगे लेटर पेड का उपयोग पत्राचार में विशेषकर शिकायत आदि करने के लिये भविष्य में नहीं किया जाएगा। ऐसी कार्यवाही को अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध माना जाएगा।"

आदेशानुसार

संलग्न :- यथोपरि।

कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2023 / 1130

दिनांक :17/01/2023

प्रतिलिपि :-

01. राज्यपाल के उपसचिव,मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल।
02. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन,वल्लभ भवन भोपाल।
04. वेबसाईट प्रभारी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
05. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. उपकुलसचिव प्रशासन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

154E/New Fold./Desktop/Z-1

Scanned with CamScanner

emai

राज्यपाल के उप सचिव
Deputy Secretary to Governor

दूरभाष Telephone
कार्यालय OFF. : 0755-2858823-24
निवास RES. : 0755-2858826
फैक्स FAX : 0755-2858825, 2858816

सत्यमेव जयते

राजभवन, भोपाल-462 052
Raj Bhavan, Bhopal—462 052

क्र. एफ-26-3/10/रा.स./यू.ए.1/ 574 दिनांक 06 मई, 2022

प्रति,

कुलपति,
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय : विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों, सभा, कार्यपरिषद, प्रबंध बोर्ड सदस्यों के संबंध में समन्वय समिति 85वीं बैठक दिनांक 18.04.11 के निर्णय पर कार्यवाही।

संदर्भ : म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 95/ /सीसी/12/अड़तीस दिनांक 16.01.12

विश्वविद्यालयीन समन्वय समिति की 85वीं बैठक दिनांक 18.04.11 के विषय क्रमांक 16 पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में नियुक्त समिति सदस्य केवल कार्यपरिषद के ही सदस्य रहेंगे, अन्य किसी समिति में भाग नहीं लेंगे । विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद, प्रबंध बोर्ड एवं अन्य समितियों के सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय के नाम एवं मोनो लगे लैटर पेड का उपयोग पत्राचार में विशेषकर शिकायत आदि करने के लिये भविष्य में नहीं किया जाएगा । ऐसी कार्यवाही को अवैधानिक एवं नियम विरुद्ध माना जाएगा । अतः इस संबंध में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे (छायाप्रति संलग्न)।

(धरणेन्द्र कुमार जैन)
राज्यपाल के उप सचिव
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner